

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 19, मंगलवार, शके 1947- मार्च 10, 2026 Phalguna 19, Tuesday, Saka 1947- March 10, 2026	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 03, 2025

संख्या एफ.10(न0.पा.) (चुनाव) (जन)/डीएलबी/2025/18126383 :-राज्य की निम्नलिखित नवगठित नगरीय निकायों का कार्यकाल माह सितम्बर, अक्टूबर 2025 में पूर्ण हो रहा हैं। राज्य सरकार तालिका में वर्णित नगरीय निकायों में बोर्ड के कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से, निर्वाचित बोर्ड के गठन होने तक एतदद्वारा नगर पालिका क्षेत्र से संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्राधिकारी/प्रशासक नियुक्त करती हैं:-

क्र.सं.	जिला	नव गठित निकाय का नाम
1	ब्यावर	रायपुर
2	जयपुर	कानोता
3	करौली	सूरौठ
4	नागौर	रियांबडी
5	चूरू	साहवा
6	झुंझुनू	मण्ड्रेला
7	झुंझुनू	बुहाना
8	झुंझुनू	मलसीसर
9	जोधपुर	मथानिया
10	धौलपुर	सैपऊ
11	डीडवाना-कुचामन	खाटू खुर्द
12	अजमेर	सावर
13	अजमेर	टांटोटी
14	नागौर	मेडता रोड
15	भीलवाडा	हमीरगढ
16	बीकानेर	खाजूवाला
17	बीकानेर	लूनकरणसर
18	बीकानेर	नापासर

19	जयपुर	नारायणा
20	जयपुर	मनोहरपुर
21	जयपुर	फागी
22	जयपुर	जमवारामगढ
23	जयपुर	दूदू
24	दौसा	मण्डावर
25	दौसा	रामगढ पचवारा
26	दौसा	लवाण
27	दौसा	भांडारेज
28	दौसा	सिकराय
29	सीकर	दांता
30	सीकर	धौंद
31	झुंझुनू	सुलताना
32	कोटपूतली-बहरोड	नारायणपुर
33	कोटपूतली-बहरोड	मांढण
34	खैरथल-तिजारा	कोटकासिम
35	खैरथल-तिजारा	मुण्डावर
36	जोधपुर	तिवरी
37	बाडमेर	चैहटन
38	प्रतापगढ	धरियावाद

उक्त प्राधिकारी/ प्रशासक नवीन नगर पालिका में निर्वाचित बोर्ड के गठन होने तक नगर पालिका की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन करेंगे तथा प्राधिकारी/ प्रशासक को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम- 2009 के प्रयोजनों के लिए नगर पालिका (Municipality) समझा जावेगा। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर,
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।